न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 100/2021

शीर्षक

1. मीनाक्षी अग्रवाल पत्नी कुमार राजीव जाति महाजन निवासी मकान नं0 780 बाणवालो का दरवाजा चौडा रास्ता जयपुर , जिला जयपुर, राज0

वादीया

बनाम

1. चन्द्रभान पुत्र बीरबल
2. सणगारी देवी पत्नी बीरबल
3. सुरजभान पुत्र बीरबल
4. हरिश चन्द्र पुत्र बीरबल
5. महादेव पुत्र देबू
6. रामलाल पुत्र रामनाथ
7. शिवदान पुत्र रामनाथ

समस्त जाति गुर्जर निवासी भीखावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

8.राजस्थान सरकार (भू–धारक)जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

9. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

10. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 11/11/2021

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0 के ख0 नं0 7016 रकबा 1.00, 7017/0.34 7018/0.24 है0 कुल कितना 3 रकबा 1.58 है0 भूमि वाकै भीखावाला तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है।

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं0 1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है, जबकि खातेदार शामलाती में ही काश्त करते आये है।

3.यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 बाजौर धनी व लडाकु किस्म के खूंखार लठैत एवं संख्या बल वाले व्यक्ति है जिन्होने वादीया के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है, जिसके चलते आये दिन सींव ,डोल, सीमा विवाद करते रहते है, तथा वादीया के सभी रास्ता व आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है।

4. यह कि दिनांक 05.10.2021 को वादीया अपनी आराजी की देखरेख कर रहा था कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 एक राय होकर आये तथा वादीया की सीव को फावडा लेकर काटने लगे तथा वादीया की आराजी में जाने का रास्ता भी अवरूद्ध कर दिया जिस पर वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 को टोका तो वादीया के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये तथा आपसी समझाईश से उस वक्त तो मान गये परन्तु जाते जाते एलानिया धमकी देकर गये कि हम उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे तथा काश्त हेतु भी आराजी में नहीं जाने देगे तथा रास्ता पूर्ण रूप से अवरूद्ध करके रहेगे तथा कानूनी बंटवारा हेतु साफ तौर से इंकारी हो गये इस कारण वादीया को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय में पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

5. यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 अपने अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादीया का रास्ता अवरूद्ध कर दिया एवं काश्त हेतु खेत में नहीं जाने दिया या वादीया को बेदखल कर कब्जा स्वयं कर लिया तो वादीया को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादीया के विधिक अधिकारो पर कुठाराधात होगा तथा वादीया को अपनी आराजी से महरूम होना पडेगा तथा वादीया को अपूर्णयी क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धनराशि से संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारो में परस्पर मुकदमे बाजी बढेगी।

6. अन्त में निवेदन किया कि (1) हाल आराजी खाता सं0 के ख0 नं0 7016 रकबा 1.00, 7017/0.34 7018/0.24 है0 कुल कितना 3 रकबा 1.58 है0 भूमि वाकै भीखावाला तह0 शाहपुरा जयपुर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार आराजी मुतनाजा का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व नियमो के मुताबिक मौका पर कब्जा काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक–पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

(2). यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड सं0 1 में वर्णित आराजी मुतनाजा में से वादीया के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत न तो वे स्वयं पैदा करे न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, अथवा स्थानापन्न एवं उत्तराधिकारी से करावे जबकि वादीया को शांति पूर्वक काबिज एवं आबाद रहकर काश्त करने देवे पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादीगण बाद तामील कोई उपस्थित नही इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी दिनांक 8.11.2021 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक /भूअ/2021/3064 दिनांक 28.12.2021 से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रेजात पर वकीलवादी को सुना गया। वकीलवादी ने बंटवारा कुर्रेजात अनुसार वादपत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अंतिम डिक्री जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम नीखावाला तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल आराजी ख0 नं0 7016, 7017,7018 है0 कुल कितना 3 रकबा 1.58 है0 भूमि के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. सणगारी पत्नी बीरबल हि0 1/54 जाति गुर्जर राहिन एसबीआई बैंक शाखा मनोहरपुर सा0 देह, रामलाल पि0 रामनाथ हि0 1/9 जाति गुर्जर हि0 सम्पूर्ण राहिन एसबीआई बैंक शाखा मनोहरपुर, शिवदान पि0 रामनाथ हि0 1/9 जाति गुर्जर राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा मनोहरपुर, महादेव पि0 देबू हि0 1/3 जाति गुर्जर सा0 देह, सूरजान पि0 बीरबल हि0 5/162 जाति गुर्जर, हरिशचन्द्र पि0 बीरबल हि0 5/162 जाति गुर्जर राहिन एसबीआई बैंक शाखा मनोहरपुर, चन्द्रभान पि0 बीरबल हि0 5/162 जाति गुर्जर राहिन एसबीआई बैंक शाखा मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 7016 रकबा 0.0.4734, 7017 रकबा 0.34, 7018 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 रकबा 1.0534 है0 भूमि रहेगी।

2. मीनाक्षी अग्रवाल पत्नी कुमार राजीव जाति महाजन निवासी मकान नं0 780 बाणवालो का दरवाजा चौडा रास्ता जयपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 7016/1 रकबा 0.5266 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/1/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 100 / 2021

शीर्षक

1. मीनाक्षी अग्रवाल पत्नी कुमार राजीव जाति महाजन निवासी मकान नं0 780 बाणवालो का दरवाजा चौडा रास्ता जयपुर , जिला जयपुर, राज0

वादीया

बनाम

1. चन्द्रभान पुत्र बीरबल
2. सणगारी देवी पत्नी बीरबल
3. सुरजभान पुत्र बीरबल
4. हरिश चन्द पुत्र बीरबल
5. महादेव पुत्र देबू
6. रामलाल पुत्र रामनाथ
7. शिवदान पुत्र रामनाथ

समस्त जाति गुर्जर निवासी भीखावाला तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

8.राजस्थान सरकार (भू–धारक)जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

9. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

10. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 11/1/2023

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम भीखावाला तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल आराजी ख0 नं0 7016, 7017,7018 है0 कुल कितना 3 रकबा 1.58 है0 भूमि के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. सणगारी पत्नी बीरबल हि0 1/54 जाति गुर्जर राहिन एसबीआई बैंक शाखा मनोहरपुर सा0 देह, रामलाल पि0 रामनाथ हि0 1/9 जाति गुर्जर हि0 सम्पूर्ण राहिन एसबीआई बैंक शाखा मनोहरपुर, शिवदान पि0 रामनाथ हि0 1/9 जाति गुर्जर राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा मनोहरपुर, महादेव पि0 देबू हि0 1/3 जाति गुर्जर सा0 देह, सूरजान पि0 बीरबल हि0 5/162 जाति गुर्जर, हरिशचन्द्र पि0 बीरबल हि0 5/162 जाति गुर्जर राहिन एसबीआई बैंक शाखा मनोहरपुर, चन्द्रभान पि0 बीरबल हि0 5/162 जाति गुर्जर राहिन एसबीआई बैंक शाखा मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 7016 रकबा 0.0.4734, 7017 रकबा 0.34, 7018 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 रकबा 1.0534 है0 भूमि रहेगी।

2. मीनाक्षी अग्रवाल पत्नी कुमार राजीव जाति महाजन निवासी मकान नं0 780 बाणवालो का दरवाजा चौडा रास्ता जयपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 7016/1 रकबा 0.5266 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 11/1/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	